

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (मुख्यालय)

KENDRIYA HINDI SANSTHAN, AGRA (Head Office)

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Education, Govt. of India)

हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा-282005 (उ.प्र.)

Hindi Sansthan Marg, Agra-282005 (U.P.)



सांध्यकालीन पाठ्यक्रम

Evening Courses

पाठ्यक्रम विवरणिका

Prospectus

2022-23

केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र

KENDRIYA HINDI SANSTHAN, DELHI CENTRE

बी-26ए, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016

B-26A, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016



केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

Kendriya Hindi Sansthan, Agra

संपर्क सूत्र Contact No : 0562-3500519/3554938 (आगरा)
011-26537121/26537123 (दिल्ली)

ईमेल E-Mail : registrarofficekhs1960@gmail.com

(आगरा)

khsdelhi16@gmail.com (दिल्ली)

© केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित स्वायत्त संगठन केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्तर की एक स्वायत्तशासी शैक्षिक संस्था है।

संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसके आठ केंद्र इन नगरों में सक्रिय हैं- दिल्ली (1970), हैदराबाद (1976), गुवाहाटी (1978), शिलांग (1987), मैसूर (1988), दीमापुर (2003), भुवनेश्वर (2003), तथा अहमदाबाद (2006)।

हिंदी भारत की एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आधुनिक भारत के लिए राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ा मूल्य है, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के हर कार्यक्रम के मूल में विद्यमान है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ने अपने सहमति पत्र (मेमोरैंडम) में कुछ संकल्प एवं कार्य निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं-

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के कार्य

- (i) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुपालन में अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास करते हुए ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत, संचालित एवं उपलब्ध कराना जो इस भाषा के विकास और प्रसार की दृष्टि से उपयोगी हों।
- (ii) विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता सुधारना, हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, हिंदी भाषा और साहित्य के उच्चतर अध्ययन का प्रबंध करना तथा हिंदी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना और हिंदी भाषा एवं शिक्षण विषयक विविध अनुसंधान कार्यों का आयोजन करना।
- (iii) विद्यार्थियों को रहने के लिए छात्रावासों का निर्माण, निरीक्षण एवं नियंत्रण करना
- (iv) अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की परीक्षा लेना तथा उपाधि प्रदान करना।
- (v) हिंदी शिक्षण के विभिन्न स्तर की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें संदर्भ तथा अनुसंधानपरक पुस्तकें तैयार करना।
- (vi) संस्थान के उद्देश्यों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन कराना।
- (vii) संस्थान की प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप अन्य उन संस्थाओं के साथ जुड़ना या सदस्यता ग्रहण करना या सहयोग करना या सम्मिलित होना जिनके उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों से मिलते-जुलते हों।
- (viii) समय-समय पर नियमानुसार अध्येतावृत्ति (फैलोशिप), छात्रवृत्ति और पुरस्कार, सम्मान पदक की स्थापना कर हिंदी से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि।

संस्थान के कार्यक्षेत्र

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपर्युक्त संकल्पों, उद्देश्यों एवं कार्यों को संपन्न करने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान ने अपनी गतिविधियों का निरंतर विस्तार किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1. शिक्षणपरक कार्यक्रम

(क) विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण

भारत सरकार की (विदेशों में) हिंदी प्रचार-प्रसार योजना एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत चुने गये विदेशी छात्रों के लिए मुख्यालय आगरा और दिल्ली केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं-

(i) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र	-	100
(ii) हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा	-	200
(iii) हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा	-	300
(iv) हिंदी स्नातकोत्तर डिप्लोमा	-	400

दिल्ली केंद्र के अंतर्गत उपर्युक्त पाठ्यक्रमों (1 से 3 तक) का संचालन स्ववित्त पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत किया जाता है। उक्त सभी पाठ्यक्रम आईसीसीआर के माध्यम से कोलंबो तथा कैंडी (श्रीलंका) में भी संचालित किए जाते हैं।

(ख) सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (स्व-वित्तपोषित)

संस्थान के मुख्यालय आगरा और दिल्ली केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित सांध्यकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं-

- (i) पोस्ट एम. ए. अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा
- (ii) स्नातकोत्तर अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा
- (iii) स्नातकोत्तर जनसंचार एवं पत्रकारिता डिप्लोमा

2. शिक्षक-प्रशिक्षण परक कार्यक्रम

(क) हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-
हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हिंदी शिक्षकों और हिंदी सीखने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मुख्यालय के अध्यापक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा-शिक्षण माध्यम से नियमित एकवर्षीय तथा द्विवर्षीय प्रशिक्षणपरक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं -

- (i) हिंदी शिक्षण निष्णात- एम.एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (आगरा) (द्विवर्षीय)
- (ii) हिंदी शिक्षण पारंगत - बी.एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (आगरा) (द्विवर्षीय)
- (iii) हिंदी शिक्षण प्रवीण - डी.एल.एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (आगरा) (द्विवर्षीय)
- (iv) त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा- 'राजकीय हिंदी संस्थान', दीमापुर (नागालैंड) त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय वर्ष का अध्ययन पूरा कर लेने के बाद वहाँ के विद्यार्थियों के लिए तृतीय वर्ष का शिक्षण कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में होता है।
- (v) विशेष गहन हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दीमापुर) - यह पाठ्यक्रम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अप्रशिक्षित हिंदी अध्यापकों के लिए है।

3. नवीकरण एवं संवर्धनात्मक कार्यक्रम

हिंदीतर राज्यों के अध्यापकों के लिए केंद्रों द्वारा नवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका मार्गदर्शन नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग तथा शैक्षणिक समन्वयक कार्यालय करता है। नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग गुजरात, कर्नाटक, असम, मिजोरम और मणिपुर राज्य के हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्रों के लिए 30 दिवसीय भाषा संवर्धनात्मक कार्यक्रम तथा सिक्किम राज्य के लिए 21 दिवसीय नवीकरण कार्यक्रम आगरा में चलाता है। राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त अध्यापक राज्यानुसार केंद्रीय हिंदी संस्थान के निम्नलिखित विवरण के अनुसार केंद्रों में नवीकरण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं-

- दिल्ली केंद्र - पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश (आदिवासी क्षेत्र) राज्यों के हिंदी अध्यापकों के लिए
- हैदराबाद केंद्र- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित पांडिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिंदी अध्यापकों के लिए
- गुवाहाटी केंद्र - असम, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम के हिंदी अध्यापकों के लिए
- शिलांग केंद्र - मेघालय एवं मिजोरम के हिंदी अध्यापकों के लिए
- मैसूर केंद्र - कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित लक्षद्वीप के हिंदी अध्यापकों के लिए
- दीमापुर केंद्र - नागालैंड, मणिपुर के हिंदी अध्यापकों के लिए
- भुवनेश्वर केंद्र - उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्यापकों के लिए
- अहमदाबाद केंद्र - गुजरात, दमन दीव तथा दादर और नागर हवेली के हिंदी अध्यापकों के लिए

4. अनुसंधानपरक कार्यक्रम

केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को निरंतर अग्रसर करना है-

- हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों के विकास के लिए शोध
- हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन
- हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आधारभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान
- हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण और भाषा-प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान
- हिंदी का समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन
- प्रयोजनपरक हिंदी से संबंधित शोध कार्य

उपर्युक्त अनुसंधानपरक कार्यों के दौरान द्वितीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

5. शिक्षण सामग्री निर्माण और भाषा विकास

केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण और अनुसंधान के अलावा हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पाठ्य-पुस्तकों, कोश और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री का निर्माण करता है-

- (i) हिंदीतर राज्यों और जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों के लिए हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण
- (ii) हिंदीतर राज्यों के लिए हिंदी के व्यतिरेकी व्याकरण एवं द्विभाषी अध्येता कोशों का निर्माण
- (iii) विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण
- (iv) कंप्यूटर साधित हिंदी भाषा शिक्षण सामग्री का निर्माण
- (v) दृश्य-श्रव्य माध्यमों से हिंदी शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री का निर्माण
- (vi) हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों का निर्माण

(क) प्रकाशन

संस्थान द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन, भाषा एवं साहित्य शिक्षण, कोश विज्ञान, द्विभाषी कोश आदि से संबद्ध विभिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। अब तक 200 से अधिक पुस्तकें संस्थान द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों एवं अनेक प्रयोजनों की पाठ्यपुस्तकों तथा अध्यापक निर्देशिकाओं का भी प्रकाशन किया गया है। संस्थान द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है-

1. गवेषणा - अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, हिंदी शिक्षण और आलोचना की त्रैमासिक पत्रिका
2. संवाद पथ - जनसंचार एवं पत्रकारिता केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका
3. समन्वय पूर्वोत्तर - पूर्वोत्तर राज्य की साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका
4. समन्वय दक्षिण - दक्षिण भारत की साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित पत्रिका
5. समन्वय पश्चिम - पश्चिम भारत की साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका
6. प्रवासी जगत - प्रवासी जगत की साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका
7. शैक्षिक उन्मेष - शिक्षा जगत में नवोन्मेष केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका
8. भावक - हिंदी साहित्य : सृजन एवं चिंतन के विविध आयामों पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका

संस्थान का मासिक बुलेटिन है - संस्थान समाचार

इनके अलावा अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग और अध्यापक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों की पत्रिकाएँ हिंदी विश्व भारती और समन्वय का प्रकाशन वार्षिक रूप से होता है।

(ख) प्रमुख परियोजनाएँ

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के द्वारा संचालित कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं-

1. भाषा-साहित्य सी.डी. निर्माण परियोजना- हिंदी को हिंदी शिक्षार्थियों और हिंदी प्रेमी आम जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस परियोजना के अंतर्गत साहित्यकारों के जीवन और कृतित्व पर आधारित ऑडियो, वीडियो के साथ-साथ हिंदी भाषाशिक्षण के मल्टीमीडिया कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत अभी तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, त्रिलोचन और फिराक गोरखपुरी की रचनाओं पर आधारित ऑडियो सी.डी. तैयार की जा चुकी हैं। महादेवी वर्मा के जीवन और कृतित्व पर आधारित एक वीडियो वृत्तचित्र 'पंथ होने दो अपरिचित' का भी निर्माण किया गया है और नज़ीर अकबराबादी के जीवन और कृतित्व पर आधारित एक अन्य वीडियो वृत्तचित्र निर्माण के अंतिम चरण में है।

2. हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना -हिंदी की लोक भाषाओं की समृद्ध परंतु संकटग्रस्त भाषायी विरासत को संजोने एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से हिंदी लोक शब्द परियोजना चलाई जा रही है। लोक भाषाओं की संस्कृति व सामाजिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना के अंतर्गत 17 कतिपय बोलियों/उप भाषाओं/भाषाओं के लोक शब्दकोशों का प्रकाशन, डिजिटलीकरण एवं

इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की योजना है। अब तक भेजपुरी-हिंदी-अंग्रेजी, राजस्थानी-हिंदी-अंग्रेजी तथा ब्रज-हिंदी-अंग्रेजी कोश प्रकाशित किए जा चुके हैं।

3. हिंदी विश्वकोश परियोजना -हिंदी विश्वकोश परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित लगभग 16 खंडों में हिंदी विश्वकोश का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से तीन खंड विज्ञान, पृथ्वी एवं भूगोल तथा गणित प्रकाशित हो चुका है।

6. विस्तारपरक कार्यक्रम

- (i) संस्थान के मुख्यालय सहित विभिन्न केंद्रों में संपर्क, समन्वयन और वैचारिक आदान-प्रदान के उद्देश्य से विशेष विस्तार व्याख्यान एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- (ii) संस्थान के विभिन्न केंद्रों और मुख्यालय में हर साल अखिल भारतीय संवाद एवं व्यापक भाषाई सांस्कृतिक आदान-प्रदान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भाषाविज्ञान, हिंदी साहित्य, हिंदी शिक्षण, पत्रकारिता, भाषा प्रौद्योगिकी, मीडिया आदि पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- (iii) हिंदीतर भाषी राज्यों के हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं प्रचार संस्थाओं के छात्राध्यापकों के लिए प्रतिवर्ष अखिल भारतीय हिंदी वाद-विवाद, निबंध लेखन एवं कविता आवृत्ति प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- (iv) विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रादेशिक एवं विश्व के विभिन्न देशों के लोक संगीत, नृत्य एवं लघु नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- (v) संस्थान मुख्यालय आगरा एवं इसके आठ केंद्रों द्वारा वहाँ के क्षेत्रीय महाविद्यालयों के सहयोग से लघु बजटीय संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- (vi) स्थानीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं हिंदी शिक्षण संस्थाओं का सहयोग करना।

7. हिंदी सेवी सम्मान योजना

यह योजना सन् 1989 में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के उन्नयन, विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु उत्कृष्ट कार्यों के लिए हर वर्ष 26 समर्पित विद्वानों को संस्थान द्वारा पाँच लाख रूपए, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है-

- (i) गंगाशरण सिंह पुरस्कार
- (ii) गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार
- (iii) आत्माराम पुरस्कार
- (iv) सुब्रह्मण्य भारती पुरस्कार
- (v) महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार
- (vi) डॉ. जार्ज ग्रियर्सन पुरस्कार
- (vii) पद्मभूषण डॉ. मोटूरि सत्यनारायण पुरस्कार
- (viii) सरदार बल्लभ भाई पटेल पुरस्कार
- (ix) पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार
- (x) स्वामी विवेकानंद पुरस्कार
- (xi) पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार
- (xii) राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार

8. पुस्तकालय

संस्थान का पुस्तकालय भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, भाषा शिक्षण और हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों की पुस्तकों के विशेषीकृत संग्रह की दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक है। इसमें लगभग 78,000 पुस्तकें व 2,100 सजिल्द पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं और लगभग 79 पत्रिकाएँ (शोध एवं अन्य) पुस्तकालय में हर महीने आती हैं। इसका नया संदर्भ प्रभाग अद्वितीय है। कवि/लेखकों की जन्म जयंती पर साहित्यिक परिचर्चा और सप्ताहव्यापी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। समस्त केंद्रों पर भी पुस्तकालय एवं वाचनालय की अच्छी व्यवस्था है।

9. प्रबंधन

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 1961 ई. में स्थापित स्वायत्त संगठन है जो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा संचालित है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के अध्यक्ष पदेन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री महोदय होते हैं। इसके एक उपाध्यक्ष एवं सचिव होते हैं। संस्थान का निदेशक ही केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का पदेन सचिव होता है। वही संस्थान का प्रमुख होता है। इनके अधीन विभिन्न विभागाध्यक्ष, केंद्रों के क्षेत्रीय निदेशक, कुलसचिव, उप कुलसचिव, लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन एवं शैक्षिक) एवं पुस्तकालय अधीक्षक होते हैं जिनके माध्यम से प्रशासन एवं शैक्षिक कार्यालय संपन्न होते हैं। इन सबके साथ पर्याप्त शैक्षिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त हैं।

10. संस्थान परिसर

केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय आगरा का मुख्य भवन, गाँधी भवन, मोटूरि सत्यनारायण छात्रावास, प्रेमचंद छात्रावास, महादेवी वर्मा अंतरराष्ट्रीय महिला छात्रावास, सुभद्रा कुमारी चौहान छात्रावास एवं अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय सभागार संस्थान परिसर में सुचारु व्यवस्था के साथ स्थित हैं। इसके अलावा अतिथि गृह और संस्थान के सदस्यों के लिए आवासीय परिसर की व्यवस्था है। मुख्यालय के अलावा इस समय दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद तथा शिलांग केंद्र अपने भवनों में संचालित किए जा रहे हैं।

11. संस्थान से संबद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय

हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के स्तर को समुन्नत करने तथा पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अहिंदी भाषी राज्यों के उत्तर गुवाहाटी (असम) तथा आइजोल (मिजोरम), के राजकीय हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा दीमापुर (नागालैंड) के राजकीय हिंदी संस्थान को केंद्रीय हिंदी संस्थान से संबद्ध किया गया है। इन महाविद्यालयों में संस्थान के पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है।

सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों का सामान्य विवरण

सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है ऐसे अध्येताओं को प्रशिक्षित करना जो कहीं सेवारत होने या किसी अन्य कारण से दिन के समय चलने वाले नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते। सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं -

1. पोस्ट एम.ए. अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा (आगरा और दिल्ली)

प्रस्तुत पाठ्यक्रम में छात्रों को भाषाविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी के साथ हिंदी संरचना एवं व्याकरण के अलावा हिंदी के सामाजिक संदर्भ से जुड़े पहलुओं का विस्तृत परिचय भी कराया जाता है। पाठ्यक्रम के चतुर्थ प्रश्न-पत्र के रूप में छात्र चार वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों में से किसी एक का चयन कर भाषाविज्ञान के आनुषंगिक अनुप्रयोग क्षेत्रों के अध्ययन से लाभान्वित हो सकते हैं।

उद्देश्य: 1. भाषाविज्ञान के सिद्धांतों तथा उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देना, 2. हिंदी भाषा की संरचना तथा हिंदी के सामाजिक संदर्भ से जुड़े पहलुओं से परिचित करना, 3. भाषाविज्ञान के अनुप्रयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का विशेष अध्ययन कराना।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

प्रश्न-पत्र 1. भाषाविज्ञान और उसका अनुप्रयोग	100 अंक	
प्रश्न-पत्र 2. हिंदी संरचना	100 अंक	
प्रश्न-पत्र 3. हिंदी का सामाजिक संदर्भ	100 अंक	
प्रश्न पत्र 4. वैकल्पिक प्रश्न पत्र	4.(क) भाषा शिक्षण : सिद्धांत और व्यवहार या 4.(ख) कंप्यूटरीकृत भाषाविज्ञान या 4.(ग) अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार या 4.(घ) शैली विज्ञान : सिद्धांत और व्यवहार	100 अंक

पात्रता :

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में एम.ए. की उपाधि या उसके समकक्ष
- (2) स्नातक स्तर पर 'हिंदी' एक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर हिंदी माध्यम द्वारा अध्ययन

2. स्नातकोत्तर अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा (आगरा और दिल्ली)

यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो 'अनुवाद' के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या अनुवाद के क्षेत्र में अपनी रुचि विकसित करते हुए अनुवाद कार्य में अपने को लगाना चाहते हैं। इसके अंतर्गत छात्र हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की दक्षता प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य: 1. भाषा वैज्ञानिक युक्तियों में अपेक्षित दक्षता विकसित करके अध्येताओं को अनुवाद कौशल में दक्ष बनाना, 2. अनुवाद सिद्धांत का सविस्तार परिचय देना, 3. नवीन युक्तियों की जानकारी तथा अनुवाद समीक्षा की सामर्थ्य विकसित करना, 4. स्रोत व लक्ष्य भाषा के रूप में हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद क्षमता का विकास करना।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

प्रश्न-पत्र 1. अनुवाद और भाषाविज्ञान	100 अंक
प्रश्न-पत्र 2. अनुवाद सिद्धांत	100 अंक
प्रश्न-पत्र 3. व्यतिरेकी भाषाविज्ञान और अनुवाद	100 अंक
प्रश्न पत्र 4. अनुवाद का व्यावहारिक संदर्भ	100 अंक
प्रश्न पत्र 5. परियोजना कार्य, सत्रीय कार्य एवं मौखिकी	100 अंक (50+25+25)

पात्रता :

- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि
- (ख) स्नातक स्तर पर हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्णता अनिवार्य है।

3. स्नातकोत्तर जनसंचार एवं पत्रकारिता डिप्लोमा (आगरा और दिल्ली)

यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है जो पत्रकारिता और जनसंचार को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' से संबंधित विषयों की पर्याप्त जानकारी देता है। साथ ही प्रिंट मीडिया से भी अवगत कराता है। इसमें लेखन की विभिन्न विधाओं एवं संपादन कला से भी परिचित कराया जाता है।

उद्देश्य : 1. जनसंचार के विविध आयामों की जानकारी देना, 2. हिंदी पत्रकारिता की भाषा संरचना की बुनावट पर विशेष बल देना, 3. घटनाक्रम विश्लेषण की क्षमता में अभिवृद्धि, 4. संचार माध्यमों के नैतिक और विविध उत्तरदायित्वों के प्रति सजग व प्रेरित करना, 5. सोशल मीडिया से संबंधित विषयों के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रकाशन के सर्वांगीण तत्वों की सम्यक जानकारी देना, 6. साइबर पत्रकारिता के प्रयोग हेतु प्रशिक्षणपरक कार्यक्रम चलाना।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

प्रश्न-पत्र 1. संचार के सिद्धांत	100 अंक
प्रश्न-पत्र 2. पत्रकारिता का इतिहास	100 अंक
प्रश्न-पत्र 3. समाचार संकलन और लेखन	100 अंक
प्रश्न-पत्र 4. लेखन की विभिन्न विधाएँ	100 अंक
प्रश्न पत्र 5. संपादन : सिद्धांत और व्यवहार	100 अंक
प्रश्न पत्र 6. प्रेस कानून और आचार संहिता	100 अंक
प्रश्न-पत्र 7. विज्ञापन और जनसंपर्क	100 अंक
प्रश्न-पत्र 8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम	100 अंक
प्रश्न-पत्र 9. कंप्यूटर अनुप्रयोग	100 अंक
प्रश्न पत्र 10. सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर पत्रकारिता	100 अंक

नोट - वार्षिक परीक्षा 70 अंक की होगी। 20 अंक परियोजना कार्य के लिए तथा 10 अंक आंतरिक होंगे।

पात्रता :

- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
- (ख) स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी माध्यम द्वारा अध्ययन।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार :

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी।

प्रवेश हेतु अनुदेश :

1. प्रवेश के समय अपने मूल प्रमाण-पत्र दिखाने होंगे, 2. सेवारत प्रवेशार्थियों को कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, 3. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा।

पाठ्यक्रमों की अवधि एवं वार्षिक परीक्षा :

सभी सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों की अवधि एक शैक्षिक वर्ष 15 जुलाई से 15 मई है। वार्षिक परीक्षा अप्रैल-मई में संपन्न होगी। वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षा में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

आरक्षण : भारत सरकार के नियमानुसार

प्रवेश परीक्षा के परीक्षण बिंदु

1. पोस्ट एम. ए. अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा

समय : 3 घंटे

पूर्णांक : 100

1. हिंदी संरचना/व्याकरण का सामान्य ज्ञान (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्याय, विलोम, अनेकार्थी, विराम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनीशोधन, वाक्य संरचना एवं वाक्य शोधन, वाच्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि), 2. हिंदी की बोलियाँ, शैलियाँ, हिंदी भाषी राज्य, संविधान में हिंदी, 3. भारत की भाषाओं की जानकारी, 4. विराम चिह्नों का उचित प्रयोग, 5. अनुच्छेद लेखन।

2. स्नातकोत्तर अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा

समय : 3 घंटे

पूर्णांक : 100

- (1) हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद - (क) 100-125 शब्दों का गद्यांश (ख) 8-10 वाक्य/वाक्यांश।
- (2) अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद - (क) 100-125 शब्दों का गद्यांश (ख) 8-10 वाक्य/वाक्यांशों का अनुवाद।
- (3) हिंदी संरचना का सामान्य ज्ञान - उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग/वचन परिवर्तन, पर्याय, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्तनीशोधन, वाक्य संरचना एवं वाच्य आदि।

3. स्नातकोत्तर जनसंचार एवं पत्रकारिता डिप्लोमा

समय : 3 घंटे

पूर्णांक : 100

- (1) समसामयिक ज्ञान
- (2) हिंदी भाषा दक्षता
- (3) मीडिया संदर्भ

परीक्षा नियम

नियम :

- (1) संस्थान की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष निर्धारित तिथियों पर आगरा तथा दिल्ली केंद्र पर होंगी। इसके लिए संस्थान द्वारा समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित किए जाने वाले परीक्षा संबंधी नियम लागू होंगे।
- (2) शिक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए परीक्षा आवेदन-पत्र भरकर 15 दिसंबर तक परीक्षा विभाग में जमा कराना होगा।
- (3) वार्षिक परीक्षा आवेदन पत्र खोना/खराब होने की स्थिति में दूसरा आवेदन पत्र रु. 100/- जमा करने के पश्चात् ही मिलेगा।
- (4) परीक्षा में वे ही छात्र शामिल हो पायेंगे जिनकी उपस्थिति कुल कार्य दिवसों की 80 प्रतिशत होगी।
- (5) सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी -
प्रथम श्रेणी- 60% और अधिक
द्वितीय श्रेणी- 50% और अधिक
तृतीय श्रेणी- 40% और अधिक
यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्ण योग में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करेगा तो उसके प्रमाण पत्र में "प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता सहित" का उल्लेख किया जाएगा।
- (6) उत्तीर्णता के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।
- (7) कृपांक सभी प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों के योग का 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा। 05 अंकों का कृपांक देय होगा। ये कृपांक दो विषयों/प्रश्न पत्रों में आवश्यकतानुसार विभाजित किए जा सकते हैं। कृपांक लिखित परीक्षा में ही दिया जाएगा।
- (8) श्रेणी सुधार के लिए 01 अंक दिया जाएगा। श्रेणी सुधार एवं कृपांक की सुविधा एक साथ देय नहीं होगी।
- (9) दो विषयों से अधिक में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक परीक्षा में छात्र को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

- (10) संस्थान के सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों की पूरक परीक्षाओं में कृपांक की सुविधा देय नहीं होगी ।
- (11) यदि कोई विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता है तो उसको उसी वर्ष अंकतालिका प्राप्ति के 15 दिन के अंदर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए प्रति प्रश्न-पत्र रु. 500/- शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। यह सुविधा अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों के लिए ही होगी ।
- (12) दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक परीक्षा के लिए एक ही बार अवसर प्रदान किया जाएगा । पूरक परीक्षा के लिए प्रति प्रश्न पत्र के लिए रु. 500/- देय होगा । यह परीक्षा उसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह के अंत तक संपन्न होगी । पूरक परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को परीक्षा नियंत्रक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा को प्रार्थना पत्र भेजकर परीक्षा आवेदन पत्र मंगाना होगा। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 15 से 30 सितंबर के मध्य होगी । आवेदन पत्र मँगाने और निर्धारित तिथि तक भरकर भेजने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। परीक्षा आवेदन पत्र मँगाने के लिए भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अपना नाम, पता लिखा (23X15 से.मी.) का लिफाफा जिसपर रु. 50/- डाक टिकट लगा हो भेजना होगा ।
- (13) प्रवेश एवं वार्षिक परीक्षा संबंधी अभिलेख/रिकार्ड यथा- उत्तर पुस्तिकाएँ, अतिरिक्त प्रश्न-पत्र एवं निरस्त आवेदन पत्रों के अभिलेख/रिकार्ड तीन वर्ष तक ही सुरक्षित रखा जाएगा, इसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा ।
- (14) वार्षिक परीक्षा के अंक पत्र व प्रामाण पत्र में त्रुटियों का निराकरण अंक पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर किया जाएगा ।
- (15) यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने के बाद चिकित्सीय कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता और तत्काल इसकी सूचना संस्थान को देता है तो उसे अगले वर्ष नए सिरे से आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति एक वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके लिए उसको चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- (16) यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अस्वस्थ रहने पर लेखन हेतु लेखन सहायक (Writer) की मांग करता है, तो लेखन सहायक की शैक्षिक योग्यता छात्र की प्रवेश योग्यता से कम होनी चाहिए ।
- (17) कोई छात्र परीक्षा में नकल करता पकड़ा/पाया जाता है, तो अनुशासन समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। न्यायिक मामले में केवल आगरा शहर ही मान्य होगा ।
- (18) प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित एवं अनुत्तीर्ण रहने पर और निर्धारित समय तक शोध प्रबंध जमा न करने की स्थिति में परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और इसके लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।
- (19) संस्थान द्वारा जारी अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि (Duplicate Copy) के लिए क्रमशः रुपए दो सौ एवं चार सौ निर्धारित किया गया है ।

आवश्यक सूचनाएँ

- (1) आवेदन पत्र में दिया गया विवरण सही एवं प्रमाण पत्रों पर आधारित होना चाहिए ।
- (2) आवेदन पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र, अस्थाई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) और अंतिम वर्ष की अंकसूची (संपूर्ण) की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र पर फोटो न होने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
- (3) आवेदन पत्र के साथ भेजे गए सभी प्रमाण पत्रों की एक सूची संलग्न करना आवश्यक है ।
- (4) आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पंजीकृत या स्पीड पोस्ट डाक द्वारा निम्नवत् पत्तों पर भेजी जाना अनिवार्य है :
1. मुख्यालय आगरा के लिए - कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा-282005
 2. दिल्ली केंद्र के लिए - क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र, बी-26ए, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली- 110016

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि अखबार में विज्ञापित अंतिम तिथि के अनुसार मान्य होगी ।

शुल्क विवरण

पोस्ट एम. ए. अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा
स्नातकोत्तर अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा
स्नातकोत्तर जनसंचार एवं पत्रकारिता डिप्लोमा

प्रवेश शुल्क	रु.	500.00
नामाकन शुल्क	रु.	500.00
शिक्षण शुल्क	रु.	7000.00
परीक्षा शुल्क	रु.	1000.00
पुस्तकालय प्रांतेभूते	रु.	1000.00
		(प्रतिदेय)
पात्रेकारण एव शिक्षण सामग्रौ आंदे	रु.	1000.00
शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ/प्रायोगिक कार्य	रु.	1000.00
कुल	रु.	12000.00

